Advertisements by Government to small and medium newspapers

2333. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state;

(a) what is the total amount of advertisements given by Government to small and medium newspapers in the country, during 1987, 1988 and so far in 1989;

(b) whether Government propose to increase the advertisements to small and medium newspapers; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (PROF. K. K. TEWARY): (a) The total amount of advertisements given by Government to Small & Medium newspapers during the year 1986-87, 1987-88 and 1988-89 is as under:—

Year	Small Newspapers	Medium Newspaper
1986-87	1,05,68,569.25	1,60,94,218.38
1987-88	1,19,68,322.87	2,31,16,639.13
1988-89	l,60,14,450.0f	3,31,81,402.00,

(b) and (c) The total amount of advertisements given to small and medium newspapers has been increasing as may be seen from the reply to (a) above. However, all concerned have been requested by the Government to consider a greater flow of advertisements to Small and Medium newspapers consistent with their publicity requirements.

पूर्वी दिल्ली में जैना भवनों के निर्माण में अनियमितताय

2334. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के पूर्वी भाग में जैना भवनों के निर्माण के विरुद्ध अनियमितताओं के क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निलंबित अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध की गई शिकायत किस प्रकार की हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) दिल्ली के पूर्वी भाग में स्थित जैना भवनों के निर्माण में भवन उप-नियमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख अनियमितताय पाई गई हैं :

(i) अलग-अलग सुविधाओं वाले अलग-अलग प्लाट और जोने मिलाये गये हैं और सुविधाओं के लिए उद्दिष्ट क्षत्र बांटा गया है ;

(ii) जोने और शोचालयों जैसे सुविधा क्षत्रों का अनाधिकृत परिवतन करके जैसे कि विक्रय योग्य क्षेत्र में वद्धि,

(iii) समुचित वायु संचालन की व्यवस्था किये बिना क्षेत्रों का अवमानक आकार में अनाधिकृत विभाजन,

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधि-